

सोहनलाल पंवार बनाम लो.सू.अ. ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद जोधपुर )

सू.अ.अ. अपील संख्या 145/2020

29.09.20

अपीलार्थी सोहनलाल पंवार,पता गांव धींगाणा, पोस्ट गुड़ा  
विशुनोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत  
प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.07..20 में उसके द्वारा (1) मुझ नागरिक द्वारा दिनांक  
11.03.20 व 19.03.20 को आपके कार्यालय को संलग्न पत्र प्रेषित किये थे,  
उनके संबंध में अग्रलिखित सूचनाएं/दस्तावेजत की प्रमाणित प्रतिया व  
अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( मुख्य  
कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा  
उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित  
होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी  
अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..( मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 9525 दिनांक 28.09.20  
रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा  
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.20 एवं 19.03.20 पर की गई कार्यवाही  
बाबत अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, अपील दायर होने के  
पश्चात् मात्र सूचनार्थ पत्र जारी किया गया, जो खेदजनक है। अतः अपील  
स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि  
अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध  
करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत  
कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।  
आदेश सुनाया गया।

